



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

13 फाल्गुन 1942 (श0)

(सं0 पटना 146) पटना, वृहस्पतिवार, 4 मार्च 2021

परिवहन विभाग

अधिसूचना

4 मार्च 2021

सं० 02/ई0 परिवहन-10/2020-1744/परि0—मोटरयान अधिनियम, 1988 सह—पठित मोटरयान (संशोधन) अधिनियम, 2019 की धारा 211 (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार मोटरगाड़ी नियमावली, 1992 के नियम-58 के पश्चात एक उपनियम 58 (क) निम्न रूप से जोड़ा जाता है:—

58 d fuc/ku gr okfNr dkx tkr byDVkfud Lo: i fMthVyh e lefiir djuk&

i वाहन डीलर द्वारा मोटरवाहनों के बिक्रय के उपरान्त निबंधन से संबंधित सभी अभिलेख 'Digital Sign Certificate (DSC)' द्वारा हस्ताक्षरित करते हुए ऑनलाईन वाहन 4.0 सॉफ्टवेयर पर अपलोड किया जायेगा।

ii क्रमांक (i) में संदर्भित कार्यों के क्रियान्वयन हेतु 'Digital Sign Certificate (DSC)' विहित प्रपत्र में निबंधन प्राधिकार को उपलब्ध कराया जायेगा, जिसके सत्यापन उपरान्त निबंधन प्राधिकार द्वारा वाहन विक्रेता को डिजीटल हस्ताक्षर हेतु अनुमति प्रदान की जायेगी।

iii अपलोड किये गये अभिलेखों को मूल रूप में निबंधन प्राधिकार को समर्पित किया जाना अनिवार्य नहीं होगा, परन्तु वाहन डीलर वाहन संबंधी इन मूल अभिलेखों को Soft एवं Hard प्रति में अपने अभिरक्षा में सुरक्षित रखेंगे एवं निबंधन प्राधिकार द्वारा मांगे जाने पर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

iv वाहन डीलर द्वारा डिजीटल हस्ताक्षर युक्त अभिलेखों को निबंधन प्राधिकार को उपलब्ध कराने एवं वाहन के पथकर/फीस इत्यादि का भुगतान ऑनलाईन करने के उपरान्त संबंधित निबंधन प्राधिकार द्वारा वाहन के निबंधन की स्वीकृति/अस्वीकृति की कार्रवाई की जायेगी।

v यदि कोई वाहन विक्रेता किसी भी स्थिति में यदि अपना प्रतिष्ठान स्थायी रूप से बंद करता है तो उनके पास जमा निबंधन से संबंधित सभी मूल अभिलेखों को संबंधित जिला परिवहन कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा।

2- यह अधिसूचना इसके बिहार गजट में प्रकाशन की तिथि से 01 माह के पश्चात प्रभावी होगा।

fcgkj&jkT;iky di vkn'k l]

lit; dekj vxoky]

ljdkj di lfpoA

The 4th March 2021

No. 02/e-Parivahan-10/2020-1744/ Pari—In exercise of the power conferred by Motor Vehicle Act, 1988 read with section-211(a) of Motor Vehicle (Amendment) Act 2019, sub rule 58(a) is being added after rule-58 of Bihar Motor Vehicle Rule, 1992.

58(a) To submit documents, required for Registration, electronically (digitally)—

- (i) After the Sell of the Vehicles all the documents related to registration shall have to be uploaded by the dealer on Vahan 4.0 software after signing it through 'digital sign certificate (DSC)'.
- (ii) For the execution of the work referred in Sl. No. (i) 'Digital sign certificate (DSC)' shall have to be made available to the registering authority in the prescribed format, after its verification the vehicle dealer shall be granted the permission for digital signature by the Registering Authority.
- (iii) It will not be compulsory to submit uploaded original documents to the registering authority, but hard and soft copy of the same shall be kept by the dealer in their custody and shall be produced before the registering authority compulsarily when so ever asked to do so.
- (iv) Approval/Rejection of the registration shall be made by the registering authority after receiving the digitally signed documents and the confirmation of the payment of road tax/fees etc.
- (v) If any dealer closes his business permanently in any circumstances, he shall have to submit all original documents, related to registration, to the concerned District Transport Office compulsarily.

2. This notification shall come into effect after one month of the date of its publication in the Bihar Gazzete.

By the order of Governor, Bihar
SANJAY KUMAR AGARWAL,
Secretary of Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
 बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
 बिहार गजट (असाधारण) 146-571+10-डी0टी0पी0।
 Website: <http://egazette.bih.nic.in>

बिहार सरकार
परिवहन विभाग

अधिसूचना

संख्या-02/ई0 परिवहन-10/2020, परि० 1744

दिनांक-4/3/2021

मोटरयान अधिनियम, 1988 सह-पठित मोटरयान (संशोधन) अधिनियम, 2019 की धारा 211 (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार मोटरगाड़ी नियमावली, 1992 के नियम-58 के पश्चात एक उपनियम 58 (क) निम्न रूप से जोड़ा जाता है:-

58 (क) निबंधन हेतु वांछित कागजात इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप (डिजीटली) में समर्पित करना-

(i) वाहन डीलर द्वारा मोटरवाहनों के बिक्रय के उपरान्त निबंधन से संबंधित सभी अभिलेख 'Digital Sign Certificate (DSC)' द्वारा हस्ताक्षरित करते हुए ऑनलाईन वाहन 4.0 सॉफ्टवेयर पर अपलोड किया जायेगा।

(ii) क्रमांक (i) में संदर्भित कार्यों के क्रियान्वयन हेतु 'Digital Sign Certificate (DSC)' विहित प्रपत्र में निबंधन प्राधिकार को उपलब्ध कराया जायेगा, जिसके सत्यापन उपरान्त निबंधन प्राधिकार द्वारा वाहन विक्रेता को डिजीटल हस्ताक्षर हेतु अनुमति प्रदान की जायेगी।

(iii) अपलोड किये गये अभिलेखों को मूल रूप में निबंधन प्राधिकार को समर्पित किया जाना अनिवार्य नहीं होगा, परन्तु वाहन डीलर वाहन संबंधी इन मूल अभिलेखों को Soft एवं Hard प्रति में अपने अभिरक्षा में सुरक्षित रखेंगे एवं निबंधन प्राधिकार द्वारा मांगे जाने पर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(iv) वाहन डीलर द्वारा डिजीटल हस्ताक्षर युक्त अभिलेखों को निबंधन प्राधिकार को उपलब्ध कराने एवं वाहन के पथकर/फीस इत्यादि का भुगतान ऑनलाईन करने के उपरान्त संबंधित निबंधन प्राधिकार द्वारा वाहन के निबंधन की स्वीकृति/अस्वीकृति की कार्रवाई की जायेगी।

(v) यदि कोई वाहन विक्रेता किसी भी स्थिति में यदि अपना प्रतिष्ठान स्थायी रूप से बंद करता है तो उनके पास जमा निबंधन से संबंधित सभी मूल अभिलेखों को संबंधित जिला परिवहन कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा।

2. यह अधिसूचना इसके बिहार गजट में प्रकाशन की तिथि से 01 माह के पश्चात प्रभावी होगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से।

liav
4/3/21
संजय कुमार अग्रवाल,
सरकार के सचिव

ज्ञापांक- 02/ई0 परिवहन-10/2020, परि0.....1744

पटना, दिनांक- 4/3/2021

प्रतिलिपि:- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना द्वारा संयुक्त सचिव, ई0गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सी0डी0 सहित सूचना एवं राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशन हेतु प्रेषित।

he 3/3

सरकार के सचिव

ज्ञापांक- 02/ई0 परिवहन-10/2020, परि0.....1744

पटना, दिनांक- 4/3/2021

प्रतिलिपि:- प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/विधि परामर्शी-सह-सचिव, विधि विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

he 3/3

सरकार के सचिव

ज्ञापांक- 02/ई0 परिवहन-10/2020, परि0.....1744

पटना, दिनांक- 4/3/2021

प्रतिलिपि:- माननीय मंत्री, परिवहन विभाग, बिहार के आप्त सचिव/सचिव, परिवहन विभाग के प्रधान आप्त सचिव/राज्य परिवहन आयुक्त, बिहार के आप्त सचिव/सभी संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, बिहार/सभी जिला परिवहन पदाधिकारी, बिहार/मुख्यालय के सभी पदाधिकारी (प्रशाखा पदाधिकारी सहित)/सभी प्रवर्तन पदाधिकारी/सभी मोटरयान निरीक्षक/सभी प्रवर्तन निरीक्षक एवं प्रवर्तन अवर निरीक्षक, बिहार को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

he 3/3

सरकार के सचिव

ज्ञापांक- 02/ई0 परिवहन-10/2020, परि0.....1744

पटना, दिनांक- 4/3/2021

प्रतिलिपि:- राज्य सूचना विज्ञान पदाधिकारी, एन0आई0सी0, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

he 3/3

सरकार के सचिव

ज्ञापांक- 02/ई0 परिवहन-10/2020, परि0.....1544

पटना, दिनांक- 4/3/2021

प्रतिलिपि:- आई0टी0 मैनेजर, परिवहन विभाग, बिहार, पटना को सूचना एवं विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

he 3/3

सरकार के सचिव